# कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला – उज्जैन

**प्रति,**

**कलेक्टर,**
**जिला उज्जैन**

**विषय :–	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कियान्वयन**

***उपरोक्त विषय में अनुलेख है कि, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी उज्जैन से संबंधित व्यवस्था एवं कार्यविधि की जानकारी :–***

**विभाग का नाम :– मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग (आबकारी) भोपाल**
**कार्यालय का नाम :– कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला उज्जैन**

***बिन्दु कमांक 1 :–***

**–––:: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ::–––**

**प्रथम अपीलीय अधिकारी :–** ***श्री अशोक पारे,***
उपायुक्त आबकारी,
संभागीय उडनदस्ता
उज्जैन संभाग उज्जैन
दूरभाष कमांक 0734–2551157

**लोक सूचना अधिकारी :–** ***श्री अजय शर्मा,***
सहायक आयुक्त आबकारी
जिला उज्जैन
दूरभाष कमांक 0734–2551160

**सहायक लोक सूचना अधिकारी :–** ***श्री बी.के.धाकड,***
सहायक जिला आबकारी अधिकारी
जिला उज्जैन
दूरभाष कमांक 0734–2551160

2. ***कार्यालय में पदस्थापना स्थिति*** :–

| क्र0 | नाम, पदनाम एवं वेतनमान | दायित्व |
|---|---|---|
| 1. | **श्री अजय शर्मा**<br>सहायक आयुक्त आबकारी<br>15600–39100+6600 | जिले के प्रभारी के रूप में कार्यालय में प्रशासकीय नियंत्रण, उज्जैन जिले के निर्धारित राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिये अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यों पर सतत् नियंत्रण रख कर शासकीय राशि जमा कराना, राजस्व में वृद्धि के प्रयास करना, आबकारी के अपराधों पर नियंत्रण की दृष्टि से अधिकारियों का निर्देशन करना, आबकारी अधिनियम एवं अन्तर्गत बने नियमों का अनुज्ञप्तिधारियों से पालन कराना, मदिरा की अपूर्ति एवं प्रदाय व्यवस्था पर नियंत्रण रखना । जिला आबकारी कार्यालय से संबंधित कार्य । |
| 2 | **श्री व्ही.के.धाकड**<br>सहा. जि.आब. अधिकारी<br>उज्जैन वृत 4, 5 एवं खाचरौद<br>9300–34800 | कार्यालयीन कार्य, अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना,आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना । जिला कार्यालय में ठेका, पापीस्ट्रा से संबंधित कार्य के प्रभारी । |
| 3. | **श्री आर.पी.भट्ट**<br>सहा. जिला आबकारी अधिकारी, वृत 3 एवं बडनगर<br>9300–34800 | कार्यालयीन कार्य, अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना,आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना । कलेक्टर न्यायालय आदि से संबंधित विभिन्न न्यायालय में जिला आबकारी कार्यालय से संबंधित कार्य । |
| 4. | **श्री डी.एस.सिसोदिया**<br>सहा. जिला आबकारी अधिकारी<br>वृत 2 एवं नागदा<br>9300–34800 | उज्जैन के ग्राम नरवर स्थित विदेशी मदिरा की वॉटलिंग इकाई एफ.एल. 9 के प्रभारी, विदेशी मदिरा के उत्पादन एवं प्रदाय पर नियंत्रण, अभिलेखों का संधारण, राजस्व वसूली एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनें नियमों का पालन कराना । कार्यालयीन कार्य, अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना,आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना । आबकारी आय एवं मनोरंजन कर आय के आडिट प्रभारी । जिला आबकारी कार्यालय से संबंधित कार्य । |
| 5 | **श्री अशोक पुरोहित**<br>सहा. जिला आबकारी अधिकारी<br>वृत 1 एवं महिदपुर | उज्जैन स्थित देशी मदिरा के सेमीआटोमेटीक वॉटलिंग प्लांट सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालयीन कार्य, अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना,आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना । जिला आबकारी कार्यालय से |

| | | |
|---|---|---|
| | 9300–34800 | संबंधित कार्य । |
| 6 | **श्री आर.एस.मिश्र**<br>सहा. जिला आब अधि वृत उज्जैन 6 एवं तराना<br>9300–34800 | कार्यालयीन कार्य, अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व वसूली में सहयोग करना,आबकारी अपराधों पर नियंत्रण करने के लिये अधीनस्थ अधिकारियों को सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना । जिला आबकारी कार्यालय से संबंधित कार्य । |
| 7. | **श्रीमती सुदर्शना काले**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत उज्जैन–1<br>5200–20200 | वृत के कार्य :–अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना। |
| 8. | **श्री एन. शर्मा**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत उज्जैन–2 एवं मद्यभाण्डागार तराना<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । देशी मदिरा की आपूर्ति एवं प्रदाय पर नियंत्रण रखना राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना । मद्यभाण्डागार तराना के प्रभारी अधिकारी |
| 9. | **श्री ए.के.कटारे**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत उज्जैन–3<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । |
| 10. | **श्री के.के.सिंह**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत उज्जैन–4<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । |
| 11. | **कु. माधुरी गामड**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत उज्जैन 5<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । पापीस्ट्रा से संबंधित कार्य एवं प्रभारी अधिकारी । |
| 12. | **कु. राजकुमारी मण्डलोई (परि.)**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत 6<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । |
| 13. | **श्री अनिल माथुर**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>देशी मदिरा भाण्डागार–उज्जैन<br>5200–20200 | उज्जैन स्थित देशी मदिरा के सेमीआटोमेटीक वॉटलिंग प्लांट के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक / मद्यभाण्डागार अधिकारी के पद पर पदस्थ, देशी मदिरा के निर्माण संग्रह एवं प्रदाय आदि कार्यों पर नियंत्रण रखना, राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना। |
| 14. | **श्री सुभाष जोशी**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत–बडनगर एवं मद्यभाण्डागार–बडनगर<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना, देशी मदिरा की आपूर्ति एवं प्रदाय पर नियंत्रण रखना राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना । |
| 15. | **श्री सी.के.साहू**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत खाचरौद<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । |
| 16 | **श्री सी.के.साहू**<br>आब.उप. प्रभारी दे.म.वा. प्लांट खाचरौद,<br>5200–20200 | देशी मदिरा के निर्माण संग्रह एवं प्रदाय आदि कार्यों पर नियंत्रण रखना, राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना। |

| | | |
|---|---|---|
| 17. | **श्री देवेन्द्र शर्मा**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत–नागदा<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । |
| 18. | **श्री के.एल.मालवीय**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत–महिदपुर एवं मद्यभाण्डागार,महिदपुर<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । देशी मदिरा की आपूर्ति एवं प्रदाय पर नियंत्रण रखना राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना । |
| 19. | **श्री उदयप्रतापसिंह चौहान**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत–तराना<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना। |
| 20. | **श्री राकेश धुर्वे**<br>आबकारी उपनिरीक्षक<br>प्रभारी वृत–उन्हेल तहसील नागदा<br>5200–20200 | अवैध मदिरा विक्रय पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही करना, क्षेत्र में सतत् प्रभावी गश्त कर सूचनाऐं प्राप्त कर कार्यवाही करना, राजस्व वसूली करना, मनोरंजन कर आय वृद्धि के लिये छविग्रहों पर नियंत्रण रखना, केबल आपरेटरों से समय पर कर वसूली करना, अनुज्ञप्तिधारियों से नियमों पालन कराना एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रवर्तन कार्य करना । देशी मदिरा की आपूर्ति एवं प्रदाय पर नियंत्रण रखना राजस्व वसूली एवं अभिलेखों का संधारण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों का पालन कराना । |

***कार्यालय में पदस्थ लिपिकीय कर्मचारी का नाम, पदनाम, शाखा, वेतनमान*** :–

| क्र0 | शाखा प्रभारी का नाम | पदनाम | शाखा | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री मांगीलाल जाटव | सहायक ग्रेड–3 | लेखा शाखा, एवं मुख्य लिपिक का प्रभार शिकायत शाखा से संबंधित समस्त कार्य, निरीक्षण एवं विविध कार्य | 5200–20200 |
| 2 | श्री राजेन्द्र सुपत | सहायक ग्रेड–2 | तहसील कार्यालय खाचरौद जिला उज्जैन में संलग्न | 5200–20200 |
| 3 | श्री मनोज चौहान | सहायक ग्रेड–2 | अपराध शाखा, एफ.एल. 2, 3, 4 एवं लायसेस परमिट शाखा का सम्पूर्ण कार्य | 5200–20200 |
| 4. | श्रीमती कल्पना सोनी | सहायक ग्रेड–3 | बकाया, आवक–जावक, पॉपीस्ट्रा शाखा, विदेशी मदिरा परमीट | 5200–20200 |
| 5. | कु0 मोहिनी भटनागर | सहायक ग्रेड–3 | ठेका शाखा, शिकायत, एफ.एल. 9 यूनिट, देशी/विदेशी मदिरा दुकाने, डायरीं सहायक आयुक्त आबकारी एवं आडिट | 5200–20200 |
| 6. | श्री नवनीत उपाध्याय | सहायक ग्रेड–3 | केश शाखा, स्टोर, सूचना का अधिकार सीटीजन चार्टर शाखा, विदेशी मदिरा परमीट | 5200–20200 |
| 7. | श्रीमती शोभा शर्मा | सहायक ग्रेड–3 | स्थापना, विदेशी मदिरा परमिट, दैनंदिनी, कोर्ट शाखा | 5200–20200 |

3. आबकारी नीति का निर्धारण शासन स्तर पर होता है । विभाग द्वारा लागू की गई नीति का क्रियान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण किया जाता है ।

4. कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिये अपनाई जाने वाले प्रक्रिया (नस्ती खोले जाने से निर्णय लेनें तक) निम्नानुसार रेखा चित्र की सहायता से दर्शयी गयी है :–

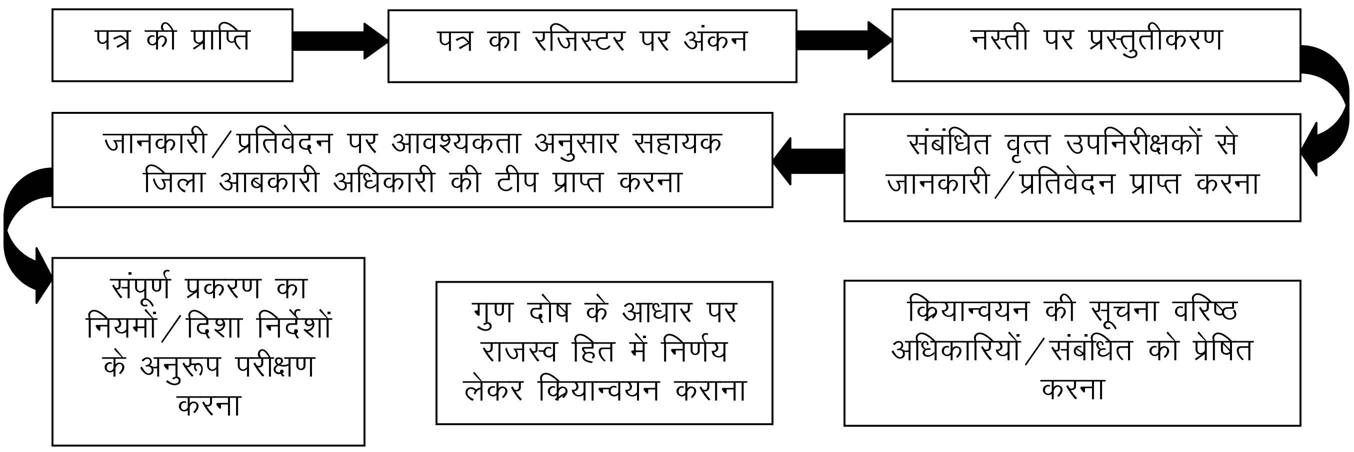

5. कार्यालय में प्राप्त सभी पत्रों का यथासंभव निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाता है ।

6. जिले में कार्यालयीन कार्यों एवं आबकारी नियंत्रण से संबंधित कार्यों के लिये निम्न अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैन्युअल के दिशा–निर्देशों अनुरूप कार्य किया जाता है :–

1 मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915
2 मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995
3 मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995
4 मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996
5 मध्यप्रदेश बीयर एंव मद्य नियम 2000
6 मध्यप्रदेश अल्कोहल उतारी नियम 1991
7 नारकोटिक्स ड्रग एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985
8 नारकोटिकस ड्रग एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (मध्यप्रदेश) रूल्स 1985
9 भांग नियम
10 सामान्य प्रयुक्ति के नियम
11 विशेष पास नियम
12 ताडी नियम
13 दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955
14 दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन (मध्यप्रदेश) ड्यूटी रूल्स 1956
15 मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936
16 मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1942
17 मध्यप्रदेश सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 :–
18 मध्यप्रदेश सिनेमा (रेग्युलेशन) नियम, 1972
19 मध्यप्रदेश सिनेमा विनिमय (एडवरटाईजिंग वैन) नियम, 1960
20 मध्यप्रदेश सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम 1982
21 मध्यप्रदेश सिनमा (वी.सी.आर. द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम 1983
22 विपकृत प्रासव नियम
23 परिशोधित स्प्रिट नियम
24 मध्यप्रदेश विपकृत मादक (स्प्रिट जन्य) संपाक नियम 1969
25 मध्यप्रदेश मादक संपाक अन्तर्राज्यीय (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम 1960
26 आपराधिक प्रक्रिया संहिता
27 सिविल प्रक्रिया संहिता
28 भारतीय साक्ष्य अधिनियम
29 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959

**7. कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची निम्नानुसार है :–**

जी–1,देशी/विदेशी, भांग, भांग घोटा, पॉपीस्ट्रा नीलाम की पंजी, जी–2 लायसेंस फीस जमा पंजी, जी–3 खपत पंजी, वेतन वृद्धि पंजी, विभागीय एवं न्यायालयीन प्रकरणों की पंजी, पी. 14 पंजी, बकाया के प्रकरणों की पंजी,आर.आर.सी पंजी, बिल रजिस्टर पंजी, डी.पी.एफ. पंजी, पी.पी.एफ. पंजी, एफ.एल. 3 लायसेंस पंजी, परमिट पंजी, विदेशी मदिरा अनापत्ति पंजी, विदेशी मदिरा ड्यूटी पंजी, विदेशी मदिरा खपत पंजी, पॉपीस्ट्रा पंजी, परमिट पंजी, शिकायत पंजी, केबल आपरेटरवार मनोरंजन शुल्क जमा पंजी, छविग्रहवार आय पंजी, छबिग्रहों के टिकट सत्यापन पंजी, मनोरंजन कर तौजी पंजी, इत्यादि ।

**<u>बिन्दु क्रमांक–8</u>**

दो या अधिक अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई जिला समितियों में सम्मिलित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

**<u>1 जिला समिति</u>**

प्रत्येक जिले में गठित इस समिति में जिला कलेक्टर जिले के पुलिस अधीक्षक संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए अधिकृत की गई ळें

**2 बार लायसेंसों हेतु जिला समिति**

एफ.एल.–2 / एफ.एल.–3 की लायसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त / स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण (भवन एंव पथ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते है। यह समिति एफ.एल.–2 / एफ.एल.–3 लायसेंसों के मापदण्ड के परीक्षण उपरान्त लायसेंस स्वीकृत की अनुशंसा के लिए अधिकृत की गई है।

**3 नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अर्न्तगत मादक पदार्थो के नष्टीकरण के लिए समिति**

इस समिति में उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी व संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / मुख्यालय के सहायक आबकारी आयुक्त सदस्य होते है। यह समिति उपरोक्त अधिनियम के अर्न्तगत जप्त मादक पदार्थो को नियमानुसार नष्ट करने के लिए अधिकृत है।

**4 कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति**

जिन कार्यालयों में एक अथवा अधिक महिलाकर्मी कार्यरत हैं वहां कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कम से कम एक महिला सदस्य को सम्मिलित कर समिति गठित की जाती हैं। यह समिति उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

उपरोक्त सभी समितियों की कार्यवाही पारदर्शी होकर आम जनता तक उपलब्ध है।

**बिन्दु क्रमांक–9**

**विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी :–**

विभाग के प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता हैं प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में किया जाता है। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक लिपिकीय अराजपत्रित कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदक्रम सूची का प्रकाशन आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में किया जाता है। इस पदक्रम सूची में संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का नाम जाति संवर्ग पदनाम जन्म का दिनांक गृह जिला शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक स्थाईकरण की स्थिति में स्थाईकरण का दिनांक तथा वर्तमान पदस्थापना का स्थान आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश रहता है। ***इस पदक्रम सूची के संबंध में कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व रहता है कि वह इस पदक्रम सूची को अपने अधीन समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत कराये तथा यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो संबंधित से अभ्यावेदन प्राप्त कर उसमें आवश्यक कार्यवाही करें।***

**बिन्दु क्रमांक–10**

**जिला कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन :–**

विभाग के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को दये एवं भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पूर्ण जानकारी रखी जाती है। अधिकारी / कर्मचारी को मिलने वाले वेतन देय अन्य भत्तों तथा उससे की जाने वाली कटोतियों की जानकारी अद्यतन रखी जाती है। इसमें कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिमों की जानकारी, आयकर कटौत्रा वृत्ति कर कटौत्रा आदि की जानकारी का समोवश रहता है। इसका विवरण कार्यालय एव कोषालय में उपलब्ध रहता है।

**बिन्दु क्रमांक–11**

**विभाग की प्रत्येक इकाई को उपलब्ध बजट, प्रस्तावित व्यय व व्यय का प्रतिवेदन :–**

जिला कार्यालय को सुचारू कार्य संधारण हेतु विभिन्न मदों में बजट आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराये गये बजट के अनुसार किये गये व्यय से संबंधित व्यय पत्रक संभागीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय को भेजे जाते है तथा इसकी प्रति संबंधित कोषालयों में दी जाती है। इन दोनों पर पर्यवेक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता हैं समय समय पर उपलब्ध बजट व्यय आदि से संबंधित अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दल तथा महोलखाकार मध्यप्रदेश के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जाता है। उपरोक्त से संबंधित समस्त जानकारी मुख्यालय पर व जिला कोषालयों में उपलब्ध रहती है।

**बिन्दु क्रमांक–12**

**विभाग में कन्सेशन अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :–**

1 आबकारी विभाग द्वारा सैनिकों से उनके उपयोगार्थ प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर सिविलियन की तुलना में 33 प्रतिशत रियायती दरों पर ड्यूटी वसूली जाती हैं।

2 मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी–3–5–92/वा.कर./भोपाल दिनांक 05.11.1992 द्वारा सैनिक यूनिटों में होने वाले वार्षिक उत्सवों में हेतु प्रति सैनिक अधिकारी/कर्मचारी एक बोतल कडी मदिरा एवं दो बातल बीयर के मान से परमिट फीस में छूट दिया जाना प्रावधानित है।

3 मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1936 की धारा 3 के अर्न्तगत विद्यार्थियों और सैनिकों को मनोरंजन शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई है।

4 नवीन छबिगृह के निर्माण्ध को प्रोत्साहन देने हेतु बनायी गयी योजना के अर्न्तगत सहायकता अनुदान नियम 1982 बनाये गये है।

5 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्राम सभा को मदिरा दुकाने खोलने बन्द करने तथा समिति की सहमति से ही इन क्षेत्रों में आबकारी से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है।

6 इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एंव ग्वालियर स्थलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर मनोरंजन शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान है।

7 पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को एफ.एल.–2 (रेस्तरां बार) तथा एफ.एल.–3 (होटल बार) लायसेंसों की स्वीकृति संबंधी प्रतिबन्ध व लायसेंस फीस में छूट दिये जाने का प्रावधान है।

8 शिक्षण शालाओं व विशेष संस्थानों को शुल्क रहित डिनेचर्ड/रेक्टिफाईड स्प्रिट दिये जाने का प्रावधान है।

**बिन्दु क्रमांक–13**

**अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान 3 लाख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :–**
**विभागीय वेबसाइट पर जानकारी दी गई है।**

**बिन्दु क्रमांक–14**

**इलेक्ट्रोनिक्स फार्म में जानकारी :–**

आबकारी विभाग की वेबसाइट **WWW.mpexcise.org.in** पर विभाग से संबंधित अधिकांश जानकारी अर्थात अधिकारियों के नाम, पदस्थापना, टेलीफोन नम्बर, आबकारी एंव मनोरंजन शुल्क आय, मादक पदार्थो की खपत देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के उत्पादन, निर्यात, आयात व अन्य सभी प्रकार के लायसेंसों से संबंधित जानकारी उपलब्ध हैं विभाग से संबंधित सभी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। विशेष अधिसूचनाओं का सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया जाता है। जनसाधारण इससे वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसे समय–समय पर अद्यतम किया जाता है।

**बिन्दु क्रमांक–15**

**जन साधारण को उपलब्ध सुविधायें जिसमें से वे सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं :–**

आबकारी विभाग के अर्न्तगत जन साधारण के लिए निम्न प्रकार कार्य/गतिविध के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है :–

1 मदिरा की गुणवत्ता के संबंध में।
2 मदिरा दुकान हटाने/बंद करने की मांग के संबंध में।
3 देशी मदिरा/भांग खरीदी के टेण्डर पर स्वीकृत प्रदाय दर/क्रय दर तथा टेण्डरदाता/प्रदायकर्ता की जानकारी।
4 आबकारी राजस्व एवं मनारेंजन शुल्क/विज्ञापन कर की जानकारी।
5 आबकारी अपराधों एंव अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जानकारी।
6 अधिकारी/कर्मचारी या लायसेंसी के अवैध कृत्यों की जानकारी।
7 जिला स्तर पर स्वीकृत होने वाले लायसेंसों की जानकारी।
8 महिला नीति के तहत आबकारी दुकान हटाने की कार्यवाही संबंधी जानकारी।

<u>बिन्दु क्रमांक–16</u>

<u>अधिकारियों के नाम एवं पदनाम और दूरभाष कमांक संबंधी जानकारी निम्नानुसार है</u> :–

| क्र | नाम अधिकारी | प्द | कार्यालय दूरभाष नं. | निवास दूरभाष कमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री अजय शर्मा | सहायक आयुक्त आबकारी | 2551160 | 2560408 |
| 2 | श्री व्ही. के. धाकड | सहा.जि.आब.अधि | ––''–– | |
| 3 | श्री आर.एन.मिश्र | ––''–– | ––''–– | |
| 4 | श्री आर.पी.भट्ट | ––''–– | ––''–– | |
| 5 | श्री अशोक पुरोहित | ––''–– | ––''–– | |
| 6 | श्री डी.एस.सिसोदिया | ––''–– | ––''–– | |
| 7 | श्री के.के.सिंह | आबकारी उपनिरीक्षक | 2551159 | |
| 8 | श्री सुभाषचन्द जोशी | ––''–– | ––''–– | |
| 9 | श्री नर्मदेश्वर शर्मा | ––''–– | ––''–– | |
| 10 | श्री यु.पी.एस. चौहान | ––''–– | ––''–– | |
| 11 | श्री सी.के.साहू | ––''–– | ––''–– | |
| 12 | श्री राकेश धुर्वे | ––''–– | ––''–– | |
| 13 | कु0 राजकुमारी मण्डलोई | ––''–– | ––''–– | |
| 14 | कु. माधुरी गामड | ––''–– | ––''–– | |
| 15 | श्री अनिल कुमार माथुर | ––''–– | ––''–– | |
| 16 | श्री अशोक कुमार कटारे | ––''–– | ––''–– | |
| 17 | श्री किशनलाल मालवीय | ––''–– | ––''–– | |
| 18 | श्रीमती सुदर्शना काले | –''–– | | |
| 19 | श्री देवेन्द्र शर्मा | –''–– | | |
| 20 | श्री नानसिंह डाबर | मुख्य आरक्षक | | |
| 21 | श्री मणीशंकर शर्मा | ––''–– | | |
| 22 | श्री वासुदेव मालवीय | ––''–– | | |
| 23 | श्री बाबुलाल समोरा | ––''–– | | |
| 24 | श्री करणसिंह कटारा | ––''–– | | |
| 25 | श्री जगदीश प्रसाद दुबे | ––''–– | | |
| 26 | श्री देवीसिंह चौहान | ––''–– | | |
| 27 | श्री व्ही.एस.खिची | ––''–– | | |
| 28 | श्री किशोर कुमार धारू | आबकारी आरक्षक | | |
| 29 | श्री शेरसिंह राठौर | ––''–– | | |
| 30 | श्री सुरेशचन्द्र घोडके | ––''–– | | |
| 31 | श्री राजनारायण मंडेरिया | आबकारी आरक्षक | | |
| 32 | श्री कमल किशोर तिवारी | ––''–– | | |
| 33 | श्री कुन्दनसिंह सोनी | ––''–– | | |
| 34 | श्री शेख सरफुद्दीन | ––''–– | | |
| 35 | श्री प्रेमचन्द जटिया | ––''–– | | |
| 36 | श्री जगदीशचन्द्र रेश्मियॉ | ––''–– | | |
| 37 | श्री कैलाश बाथरी | ––''–– | | |
| 38 | श्री महेन्द्र कुमार बैरागी | ––''–– | | |
| 39 | श्री जयदेव शर्मा | ––''–– | | |
| 40 | श्री रामनारायण परमार | ––''–– | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | श्री बंशीलाल गेहलोत | ——''—— | | |
| 42 | श्री अनिल कुमार रघुवंशी | ——''—— | | |
| 43 | श्री मदनमोहन चौधरी | ——''—— | | |
| 44 | श्री सरफराज उद्दीन | ——''—— | | |
| 45 | श्री गोपालसिंह ठाकुर | ——''—— | | |
| 46 | श्री विष्णुप्रसाद कलोसिया | ——''—— | | |
| 47 | श्री गजराजसिंह राठौर | ——''—— | | |
| 48 | श्री भगवतीलाल सोलंकी | ——''—— | | |
| 49 | श्री गणेश गोयल | वाहन चालक | | |
| 50 | श्री मांगीलाल जाटव | सहायक ग्रेड 3 | 2551160 | |
| 51 | श्री मनोज कुमार चौहान | सहायक ग्रेड 2 | | |
| 52 | श्री राजेन्द्र सुपत | ——''—— | ——''—— | |
| 53 | श्रीमति कल्पना सोनी | ——''—— | ——''—— | |
| 54 | कु0 मोहिनी भटनागर | ——''—— | ——''—— | |
| 55 | श्री नवनीत उपाध्याय | ——''—— | ——''—— | |
| 56 | श्रीमति शोभा शर्मा | ——''—— | ——''—— | |
| 57 | श्री अब्दुल सलीम | दफ्तरी | | |
| 58 | श्रीमति कलावती वैण्डवाल | भृत्य | | |
| 59 | श्री रमेशचन्द्र केसवानी | ——''—— | | |
| 60 | श्री नन्दावल्लभ पाण्डेय | ——''—— | | |
| 61 | श्री भेरूलाल राठौर | ——''—— | | |
| 62 | श्री हुकुमचन्द लौहारिया | ——''—— | | |
| 63 | श्री हैदर अली | ——''—— | | |
| 64 | श्रीमति लीलाबाई मेहर | ——''—— | | |
| 65 | श्री रईस एहमद | ——''—— | | |
| 66 | श्री रविकुमार जाटवा | ——''—— | | |
| 67 | श्री राजेश कुमावत | ——''—— | | |
| 68 | श्रीमति सुधा रायकवार | ——''—— | | |
| 69 | श्री राजेन्द्रप्रसाद पेन्द्रो | ——''—— | | |

**बिन्दु क्रमांक–17**

**अन्य :–**

विभाग से संबंधित अन्य महत्वूपर्ण जानकारियों नियमो/अधिसूचनाओ/टेण्डर नोटिस का प्रकाशन राजपत्र के साथ साथ प्रमुख समाचार पत्रों में कराया जाता है।

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला उज्जैन

**क./आब/मुलि/2009/** **उज्जैन, दिनांक**

**प्रतिलिपि :–**

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
2 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिककर विभाग, मंत्रालय–भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. संयुक्त संचालक, योजना एवं सांख्यिकी, जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

सहायक आयुक्त आबकारी
जिला उज्जैन